राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(184)एमई / ग्रुप–1 / 2013 जयपुर, दिनांक 17 AUG 2016

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 96 दिनांक 14.02.2014 के द्वारा डॉ. रितु सेहरा को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। डॉ. रितु सेहरा को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ0 सेहरा के द्वारा पदस्थापन स्थान पर आदिनांक तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है।

उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. रितु सेहरा नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

डॉ. सेहरा के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. रितु सेहरा के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 14.02.2014 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(डी.एल. तंवर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन विशिष्ठ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 1996 दिनांक 14.02.2014 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. डॉ0 रितु सेहरा पुत्री डॉ0 किशोरी लाल सेहरा, शिशु रोग विशेषज्ञ, वीणा मेमोरियल सीनियर सैकण्ड्री स्कूल के पास, गुलाब बाग, करौली राजस्थान– 322241 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव